न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 418 / 2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
कुनणी पत्नी मूलाराम विश्नोई निवासी सांवरिज तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1–खंगार सिह पुत्र मोती सिह 2–गोपाल सिह पुत्र गिरधारी सिह 3– शोभाग सिह पुत्र पूनम सिह 4– गजे सिह पुत्र नेत सिह 5– पार्वतीकंवर पत्नी नेत सिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण पृथ्वीराज सिह नगर, बामणू तहसील फलोदी जिला जोधपुर 6– अर्जुन सिह पुत्र हजारी सिह 7– कंवराज सिह पुत्र नैत सिह 8– रिछपाल सिह पुत्र नेत सिह 9– अजीत सिह पुत्र नेत सिह 10–विशाल कंवर पुत्र नेत सिह 11–चांवकंवर पुत्री नेत सिह 12–पारसकंवर पुत्री नेत सिह 13–प्रकाशकंवर पुत्री नेत सिह प्रत्यर्थी संख्या 6 से 13 सभी जातियान राजपूत निवासी पृथ्वीराज सिह नगर, बामणू तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 14–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलोदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15–5–2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37 / 2018 अनवान खंगारसिह वगैरा बनाम कुणणी वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री मोती सिह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2, 4, 6,7 एवं 10 से 13 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4–9–2019

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष दिनांक 8–3–2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वर्तमान ग्राम पृथ्वीराजसिह नगर तहसील फलोदी के

खसरा नंबर 479/11 रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थीगण (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5) तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 9 (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 6 से 13) की संयुक्त खातेदारी की आयी हुई है, जिसकी तरमीम वर्ष 2008 मे कर दी गई, उक्त तरमीम को पटवारी हल्कमा ने नक्शे मे वर्तमान खसरा नंबर 479/11 के स्थान पर 479/10 कर दिया, जिस पर अप्रार्थी संख्या (वर्तमान अपीलांट) का कब्जा नही है । वर्तमान राजस्व नक्शे प्रार्थीगण (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5) का खसरा नंबर 479/11 का अंकन ही नही है इसलिए अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 479/11 की तरमीम राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 479/10 की तरमीम मे अंकित की जावें । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–5–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम पृथ्वीराजसिह नगर के राजस्व नक्शा मे खसरा नंबर 479/10 की तरमीम मे अंकन दुरस्ती कर खसरा नंबर 479/11 पूर्वानुसार पी–35 कमांक 250 दिनांक 7–7–2008 के अनुसार पटवार हल्का सांदरीज द्वारा जारी नक्शा अनुसार तरमीम के नक्शे मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस प्रारम्भ करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति लेकर प्राथमिक आपत्ति इस बाबत प्रस्तुत की कि उक्त अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार मे है अथवा नही, पहले इस बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र एवं उक्त प्रार्थनापत्र मे चाही गई इस्तदुआ की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण के खसरा नंबर 479/11 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नंबर 479/10 की तरमीम को दुरस्त करने का निवेदन किया था जिस पर पारित आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

इस संबंध मे वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र नक्शा (फील्डबुक) दुरस्ती का है जो सर्वे, रिकार्ड एवं सेटलमेन्ट रूल्स 1957 के नियम 19 अनुसार फील्डबुक एक सेटलमेंट विभाग का दस्तावेज है तथा फील्डबुक को सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 3 मे संधारित किया जाता है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि सेटलमेंट कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे तथा फील्डबुक के संधारण के संबंध मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 मे इस प्रकार व्यवस्था दे रखी है – "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय मे बनाये गये नियमो के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जायेगी और वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लंबे समयान्तर पर जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या गांव का भाग, भू सम्पति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनो को उसमे लिख लेगा तथा ऐसी गल्तियों को, जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक मे की गई, बतलाई जावे, सही करेगा ।" अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय भू अभिलेख अधिकारी कम भू प्रबंध अधिकारी की हैसियत पारित करते हुए नक्शे मे तरमीम दुरस्त

करने का आदेश पारित किया है इसलिए भू प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (ई) अनुसार भू प्रबंध आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने का है ऐसे मे अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा मे सहवन से प्रस्तुत की है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय हाजा को नही होने से वर्तमान अपील को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट अधिवक्ता को लौटाई जाने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि जिस गांव मे स्थित है, वहां सेटलमेंट की कार्यवाही चालू नही थी । ऐसे मे फील्डबुक और अन्य राजस्व कार्य समय पर सम्पादित करने के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 मे प्रावधान दिये हुए है जिसके अनुसार सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य समाप्त होने के बाद राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख की धारा 106, 107 व 108 के अनुक्रम मे फील्डबुक को संधारित करने का कार्य लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर को दिया जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर की हैसियत से जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसकी विधिवत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (एफ) अनुसार निदेशक भू अभिलेख के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान दे रखा है जिसके तहत वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार की होने से रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारीज करते हुए अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 स्वयं ने नक्शे मे दुरस्ती करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का उल्लेख करते हुए पेश किया था जबकि नक्शे मे तरमीम दुरस्ती के लिए धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे प्रावधान होने से अधीनस्थ न्यायालय लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (एफ) मे इस न्यायालय हाजा को ही होगी इसलिए इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी.2008 पेज 387 एवं आर.आर.डी. 1964 पेज 239 की निर्णय नजीरे पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्राथमिक आपत्तियो पर बहस पर मनन किया तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 127, 131 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य की धारा 106, 107 व 108, सर्वे, रिकार्ड एवं सेटलमेन्ट रूल्स 1957 के नियम 19 जिसके तहत फील्डबुक का संधारण किया जाता है एवं राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (लेण्ड रेकर्ड) रूल्स 1957 के नियम 59 "नक्शा, मानचित्र" के शुद्धि के लिए इस नियम के उप नियम 1, 2, 3 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (ई) एवं (एफ) जिसमे अपीलो का प्रावधान दिया गया है, आदि का भी अध्ययन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया।

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

सर्वे, रिकार्ड एवं सेटलमेन्ट रूल्स 1957 के नियम 19 मे फील्डबुक को सेटलमेन्ट का दस्तावेज माना गया है तथा सेटलमेंन्ट कर्मचारियो द्वारा फील्डबुक का संधारण निर्धारित प्रपत्र फार्म नंबर 3 मे किया जाता है, जो कि भू प्रबंध से संबंधित कार्यवाही है तथा सेटलमेंट की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मानचित्र या फील्डबुक जो कि सेटलमेंट का दस्तावेज है जिसमे किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी आदेश भू प्रबंध अधिकारी की हैसियत से ही भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किये हुए माने जायेंगे तथा भू प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (ई) के तहत भू प्रबंध आयुक्त को प्रस्तुत होगी इसलिए अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत उक्त अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही होने से सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट अधिवक्ता को लौटाई जाने के आदेश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 4–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर